To complete the Construction work of Stadium

***15. SH. SHAMSHER SINGH GOGI (Assandh)**: Will the Chief Minister be pleased to state:—

a) the reasons for which the work of stadium is lying incomplete in village Balla;
b) the extent of allocated amount spent on the construction of stadium in village Balla togetherwith the details of works on which the said amount has been spent;
c) if not spent, the reasons therefor; and
d) the time by which the construction work of the stadium in village Balla is likely to be completed?

DEVENDER SINGH BABLI, DEVELOPMENT AND PANCHAYATS MINISTER, HARYANA

Sir,

a) An amount of Rs.1.00 crore was sanctioned by HRDF Board for a sports stadium in village Balla, district Karnal vide sanction order No.1960 dated 7.6.2012. First instalment of Rs.50 lacs was released for the execution of this work. Construction of stadium is still incomplete as the executing agency (Gram Panchayat) has never raised any demand for balance funds.
b) Boundary wall of the Sports Stadium has been constructed by Gram Panchayat after utilizing funds from the first instalment of Rs.50 lacs.
c) As reported by District Development & Panchayat Officer, Karnal, first instalment of Rs.50 lacs released for the said work has been utilized.
d) The remaining construction work will be started soon after the release of funds. The funds will be released immediately on receipt of fresh estimates of expected expenditure and resolution from the Gram Panchayat concerned.

***

स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा करना

*15 **श्री शमशेर सिंह गोगी (असंध)**:

क्या मुख्यमंत्री कृपया बताएंगे कि:—

(क) गांव बल्ला में स्टेडियम का निर्माण कार्य पूरा न करने के क्या कारण है; तथा

(ख) गांव बल्ला में स्टेडियम के निर्माण पर कितनी आबंटित राशि खर्च की गई तथा उन कार्यों का ब्यौरा क्या है जिन पर उक्त राशि खर्च की गई है;

(ग) यदि खर्च नहीं की गई, तो उसके क्या कारण है; तथा

(घ) गांव बल्ला में स्टेडियम का निर्माण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

देवेंद्र सिंह बबली, विकास एवं पंचायत मंत्री, हरियाणा

श्रीमान,

क) गांव बल्ला, जिला करनाल में खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए एच0आर0डी0एफ बोर्ड ने पत्र क्रमाकं **1960** दिनाकं **07.06.2012** द्वारा **1** करोड रू की राशि स्वीकृत करते हुए मु**0 50** लाख रू की राशि प्रथम किस्त के रूप में जारी की थी। स्टेडियम का निर्माण अधूरा है क्योंकि क्रियान्वन संस्था (ग्राम पंचायत) ने कभी भी शेष धनराशि की मांग नहीं की है;

ख) पहली किस्त के रूप में जारी की गई मु**0 50** लाख रुपये की राशि उपयोग कर खेल स्टेडियम की चारदीवारी का निर्माण किया गया है;

ग) जैसा कि जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, करनाल द्वारा रिपोर्ट में बताया गया है कि उक्त कार्य के लिए जारी की गई 50 लाख रुपये की पहली किस्त का उपयोग किया जा चुका है।

घ) शेष निर्माण कार्य राशि जारी होने के बाद जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा। संबंधित ग्राम पंचायत से अपेक्षित व्यय के नए अनुमान और प्रस्ताव प्राप्त होने पर तुरंत धनराशि जारी कर दी जाएगी।

***